

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- राम/भूअ./ई-3/प-2/2022/571

दिनांक:-14.01.2023

--: आदेश :-

निम्नांकित भू-अभिलेख निरीक्षकों/पटवारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	सरिता भीणा (पटवारी)	बीकरण तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा	तहसील थानागाजी अलवर
2.	शंकर सिंह (पटवारी)	प.म. इरास, तह. आसीन्द जिला भीलवाड़ा	प.म. चांदरास तह. करेडा जिला भीलवाड़ा
3.	सुमन लता शर्मा (पटवारी)	लीव रिजर्व पटवारी तह. गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर	प.म. उदईकलां-सी, तह. गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर
4.	हरि सिंह (पटवारी)	पटवार मण्डल मण्डवारा तहसील उनियारा जिला टोंक	जेडीए जयपुर

नोट :- मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 279 दिनांक 14.01.2023 में पटवारी संवर्ग में क्रम सं. 60 पर अंकित जितेन्द्र पाटीदार का स्थानांतरण एतद्वारा निरस्त किये जाता है।

उपरोक्त सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नांकित निर्देशों के अन्तर्गत रहेंगे:-

1. उपरोक्त स्थानांतरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये जा रहें हैं। अतः समस्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं योगकालावधि देय होगा।
2. उक्त नवीन पदस्थापित कार्मिकों के स्थान पर यदि पूर्व से भी यदि कोई कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हो तो ऐसी स्थिति में पूर्व कार्यरत कार्मिक को जिले में वर्तमान पदस्थापन स्थान के यथा सम्भव समीपस्थ तहसील में अथवा अन्य किसी भी रिक्त पद पर स्थानान्तरित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें।

आदेशानुसार

  
निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर

क्रमांक:- राम/सम/572-584

दिनांक:-14.01.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सहायक, निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त अजमेर, जयपुर एवं भरतपुर।
5. जिला कलक्टर अलवर, भीलवाड़ा, व सवाई माधोपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापन के लिए कार्यमुक्त कर संबंधित तहसीलदार/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध आपके स्तर से नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करना सुनिश्चित करावें।
6. संबंधित कार्मिक श्री ..... को पालनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

  
निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर